न्यायालय,सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 83/2020
GCMSNo.- : 2020/00211

–: वादी :–

1. अरविन्दकुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया
जाति– रेगर, निवासी– अम्बेडकर कालोनी, राजमहल होटल के पीछे ब्यावर, जिला अजेमर (राज)

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. गोपाल पुत्र भंवरु
2. लक्ष्मण पुत्र भंवरु
3. पूरण पुत्र भंवरु
4. अजीत पुत्र भंवरु
5. सीता पुत्री भंवरु
6. माया पुत्री भंवरु
7. अंजू पुत्री भंवरु
8. रेशमा पत्नी भंवरु
   जातियान– मेहरात निवासीगण– भींवगढ़, तहसील जैतारण, जिला पाली।
9. रेणुकुमार पुत्र रतनलाल जैन जाति जैन, निवासी विनोदनगर ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
10. निर्मल कुमार पुत्र नेमीचन्द जैन जाति जैन, निवासी समता सदन के सामने गीता भवन ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
11. प्रकाश पुत्र भंवरु
12. दुर्गा पुत्र गेना
13. बूधा पुत्र धन्ना
14. छोटू पुत्र धन्ना
15. हंजा पत्नी धन्ना
16. पूसा पुत्र भगला
17. रमेश पुत्र नेनाराम
18. नन्दू पुत्र नेनाराम
19. उतम पुत्र नेनाराम
20. रेशमी पत्नी नेनाराम
21. प्रभू पुत्र केशा
22. मोतीलाल पुत्र आलू
    जातिया– भाम्बी, निवासीगण– भींवगढ़, तहसील जैतारण, जिला पाली [illegible]
23. बस्ता[illegible] पुत्र [illegible]डी पत्नी हापु[illegible] जाति भाम्बी [illegible] भींवगढ़, हालमुकाम [illegible]बिया तहसील जैतारण, जिला पाली (राज)।
24. पप्पू पुत्र [illegible] (फोत बिदामी पुत्री हापुडी पत्नी लूणा के वारिस) जाति भाम्बी, निवासी भींवगढ़, हालमुकाम राबडियावास तहसील जैतारण, जिला पाली (राज)।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:15 IST
Reason: SelfAttested

25. सोहनी पुत्री हापुडी पत्नी भंवरु जाति भाम्बी, निवासी भींवगढ़, हालमुकाम बलाडा तहसील जैतारण, जिला पाली (राज)।
26. लाडू पुत्री हापुडी जाति भाम्बी, निवासी भींवगढ़, हालमुकाम घोडावड तहसील जैतारण, जिला पाली (राज)।
27. बुधा पुत्र दाकुडी पत्नी छोगा जाति भाम्बी, निवासी भींवगढ़, हालमुकाम कोटडिया तहसील जैतारण, जिला पाली (राज)।
28. रामगोपाल हॉल्डिंग प्रा. लि. स्ट्रेड रोड कोलकता 70001 (प. बंगाल)जरिये महेश पंवार पुत्र सोहनलाल जाति लौहार मसूदा रोड ब्यावर, जिला अजमेर (राज)।
29. श्री सीमेंट लिमिटेड (रास प्रोजेक्ट) मार्फत अमरीषकुमार शर्मा वरिष्ठ प्रबन्धक (भूमि अवाप्ति) निवासी बांगड नगर अन्धेरी देवरी, तहसील मसूदा, जिला अजमेर (राज)।
30. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज)।

<u>दावा बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञ अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>   <u>तारीख रजू:.07/10/2020</u>

उपस्थितः. 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री अमित त्रिपाठी, श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::-   **दिनॉकः- 11/08/2021**

वकील मय वादीगण ने राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 1920 रकबा 21 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 2596 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 2 कुल रकबा 24 बीघा 02 बिस्वा की आई हुई है उक्त खसरे की [illegible] हिस्सा यानि 3 बीघा 08 बिस्वा 08 भूमि पर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार [illegible] काबि[illegible] है तथा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण [illegible] काश्त करते चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य [illegible] अलग बंटी हुई है व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त है मगर वादी व प्र[illegible]वादीगण की सम्पूर्ण भूमि एक खाते के रुप में शामलाती दर्ज है व नक्शा ट्रेश में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई है। मौके पर कब्जे व काश्त अनुसार अलग अलग तरमीम की हुई नहीं है। तथा विवादित आराजी को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

जायेगा । वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 की व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा नही हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है । परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादी के साथ उक्त कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं वादी की खन्दक/मेडबन्दी तारबन्दी को तोडफोडकर देते है एवं वादी को हर समय उनके हक हिस्से की भुमि से बेदखल करने पर आमादा रहते है। जबकि मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से एवं खातेदारी भूमि पर काबिज है एवं मनागना काश्त करते चले आ रहे है। वादी की वादग्रस्त उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि 83/585 हिस्से यानि 3 बीघा 08 बिस्वा 08 बिस्वांसी भूमि मौके पर बंटी हुई है। वादी का अलग सें कब्जा व काश्त है वादी ने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकासमा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम करने का तकास्मा करवाने का कहा मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होने बंटवाडा करवाने सें दिनांक 30.08.2020 को मना कर दिया जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई काननी अधिकार नही है वादी अपनी भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा करवाने का अधिकारी है इसलिए दावा तकास्मा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। बाद तकास्मा आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग, उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने के अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलादांजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नही है, प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार बार फौजदारी मुकदमें करने पडगे। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिंडिंग्स होगी। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार भंवरु पुत्र दाउ फोत हो चुका है। भंवरु पुत्र दाउ के विधिक वारिस गोपाल पुत्र भंवरु, लक्ष्मण पुत्र भंवरु, पूरण पुत्र भंवरु, अजीत पुत्र भंवरु, सीता पुत्री भंवरु, माया पुत्री भंवरु, [illegible] भंवरु है जिनको इस वाद में प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के रुप में प[illegible]कार [illegible]या गया है भंवरु पुत्र दाउ के ओर कोई विधिक वारिसान न[illegible] [illegible] खातेदार मेथी पत्नी केसा फोत हो चुकी है। मेथी पत्नी [illegible] प्रभू पुत्र केसा है जो इस वादग्रस्त भूमि में सह ख़ातेदार भी है जिनको इस वाद [illegible]तिवादी संख्या 21 के रुप में पक्षकार बनाया गया है मेथी पत्नी केसा के ओर कोई विधिक वारिसान नही है। वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार हापुडी पुत्री जगरुप पत्नी हापू फोत हो चुकी है जिसके वारिसान निम्न है

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

हापुडी पुत्री जगरुप पत्नी हापू जी (फोत)

बस्ताराम पुत्र | बिदामी पुत्री (फोत) → पप्पू दोहिता | सोहनी पुत्री | लाडू पुत्री

हापुडी पुत्री जगरुप पत्नी हापू जी के विधिक वारिस बस्ताराम पुत्र हापुडी, सोहनी पुत्री हापुडी, लाडू पुत्री हापुडी, (बिदामी पुत्री हापुडी फोत) के वारिस पप्पू पुत्र बिदामी है जिनको इस वाद में प्रतिवादी संख्या 23 से 26 के रुप में पक्षकार बनाया गया है हापुडी पुत्री जगरुप के ओर कोई विधिक वारिसान नही है। वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार दाकुडी पुत्री जगरुप पत्नी बुधाराम फोत हो चुकी है जिसके वारिसान निम्न है

दाकुडी पुत्री जगरुप पत्नी बुधाराम (फोत)

↓

बुधाराम

दाकुडी पुत्री जगरुप के विधिक वारिस बुधाराम पुत्र दाकुडी है जिनको इस वाद में प्रतिवादी संख्या 27 के रुप में पक्षकार बनाया गया है दाकुडी पुत्री जगरुप के ओर कोई विधिक वारिसान नही है। प्रतिवादी संख्या 30 तहसीलदार साहब, जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर है जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जो बंटवाडे के वाद मे आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नही चाही गई है। बिनाय दावा दिनांक 30.08.2020 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंट्वाडा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करने एवं बिना बंटवाडा करवाये सामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण करने एवं वादी को उनके हक हिस्से व कब्जे की भुमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम भीवंगढ (रास) तहसील जैतारण जिला पाली में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में होने से उक्त वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिगण संख्या 01 से 08 व 11 से 27 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन् सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 09 व 10 की और से वकालतनामा पेश किया, जवाब दावा पेश नहीं करना, जवाबदावा बन्द किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 28 व 29 की ओर वकालत नामा एवं इकबालिया जवाब दावा व काउन्टर क्लेम [illegible] जो सा0मि0 है। चूंकि प्रकरण में इकबालिया जवाब दावा पेश होने से [illegible] जाना आवश्यक नहीं है। अधिवक्ता उभयपक्ष माफिक [illegible] की प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतू सहमत है। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा ग्राम भींवगढ सम्वत् 2072-2075 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अवलोकन किया गया। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 09, 10, 29 बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 1920 व 2596 में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 09, 10, व 29 के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंट्याडा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1920 रकबा 21 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नम्बर 2596 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी दोयम में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2021/60 दिनांक 22/01/2021 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/21/2288 दिनांक 16/07/2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की खसरा नम्बर 1920 रकबा 21 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 2596 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी दोयम भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बी. स्वा.	किस्म	लगान
1	अरविन्द कुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया कौम – रेगर, निवासी अम्बेडकर कालोनी, राजमहल होटल के पीछे ब्यावर, जिला अजेमर (राज.) खातेदार	1920/2	[illegible]	बा0दो0	0.85

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

2	रामगोपाल हौल्डिंग प्रा. लि. स्ट्रेंड रोड कोलकता 70001 (प.बंगाल)जरिये महेश पंवार पुत्र सोहनलाल जाति लौहार मसूदा रोड ब्यावर, जिला अजमेर (राज) खातेदार	1920/1	0-08	बा0दो0	0.10
3.	श्री सीमेंट लिमिटेड (रास प्रोजेक्ट) मार्फत अमरीषकुमार शर्मा वरिष्ठ प्रबन्धक (भूमि अवाप्ति) निवासी बांगड नगर अन्धेरी देवरी, तहसील मसूदा, जिला अजमेर (राज)।	2596	2-16	बा0दो0	0.70
		1920	12-01	बा0दो0	3.01
		योग 2	14-17		
4.	रेणुकुमार पुत्र रतनलाल जैन जाति जैन, निवासी विनोदनगर ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।	1920/3	0-04	बा0दो0	0.05
5.	निर्मल कुमार पुत्र नेमीचन्द जैन जाति जैन, निवासी समता सदन के सामने गीता भवन ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।	1920/4	01-00	बा0दो0	0.25
6.	भंवरू पुत्र दाऊ के कायम मुकाम पर- गोपाल पुत्र भंवरू हि. 5/816, लक्ष्मण पुत्र भंवरू हि. 5/816, पूरण पुत्र भंवरू हि. 5/816, अजीत पुत्र भंवरू हि. 5/816, सीता पुत्री भंवरू हि. 5/816, माया पुत्री भंवरू हि. 5/816, अंजू पुत्री भंवरू हि. 5/816, रेशमा पत्नी भंवरू हि. 5/816, कौम- मेरात सा. देह, प्रकाश पुत्र भंवरू हि. 5/34, दुर्गा पुत्र गेना हि. 5/102, बुधा पुत्र धन्ना हि. 5/102, छोटु पुत्र धन्ना हि. 5/102, हंजा बेवा धन्ना हि. 5/102, पुसा पुत्र मंगला हि. 5/34, रमेश पुत्र नेनाराम हि. 5/408, नन्दु पुत्र नेनाराम हि. 5/408, उत्तम पुत्र नेनाराम हि. 5/408, रेशमी पत्नी नेनाराम हि. 5/408, प्रभु पुत्र केसा हि. 3/34, भीकाराम पुत्र केसाराम हि. 1/34, मोतिलाल पुत्र आलु हि. 1/17, आपुडी उर्फ हापुडी पुत्री जगरूप के कायम मुकाम पर बस्ताराम पुत्र आपुडी हि. 1/34, सोहनी पुत्री आपुडी पत्नी हापुराम हि. 1/34, लाडु पुत्री आपुडी पत्नी चम्पालाल हि. 1/34, बिदामी पुत्री आपुडी पत्नी लुणाराम के कायम मुकाम पर पप्पुराम पुत्र लुणाराम हि. 1/170, इन्द्रा पुत्र लुणाराम हि. 1/170, दरियाव पुत्र लुणाराम हि. 1/170, किनीया पुत्री लुणाराम हि. 1/170, चम्पादेवी पुत्री लुणाराम हि.	1920/5	4-05	बा0दो0	1.60

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

	1/170, दाखुड़ी जगरूप के कायम मुकाम पर बुधाराम पुत्र दाखुड़ी पत्नी छोगाराम हि. 2/17 कौम मेघवाल सा0 देह. खातेदार।				

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंट्वाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर पदेन

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 11/08/2021 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:15 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-: वादी :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

वादी:

1. अरविन्दकुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया जाति- रेगर, निवासी- अम्बेडकर कालोनी, राजमहल होटल के पीछे ब्यावर, जिला अजेमर (राज)

प्रतिवादीगण:

1. गोपाल पुत्र भंवरु
2. लक्ष्मण पुत्र भंवरु
3. पूरण पुत्र भंवरु
4. अजीत पुत्र भंवरु
5. सीता पुत्री भंवरु
6. माया पुत्री भंवरु
7. अंजू पुत्री भंवरु
8. रेशमा पत्नी भंवरु जातियान- मेहरात निवासीगण- भींवगढ़, तहसील जैतारण, जिला पाली।
9. रेणुकुमार पुत्र रतनलाल जैन जाति जैन, निवासी विनोदनगर ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
10. निर्मल कुमार पुत्र नेमीचन्द जैन जाति जैन, निवासी समता सदन के सामने गीता भवन ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
11. प्रकाश पुत्र भंवरु
12. दुर्गा पुत्र गेना
13. बूधा पुत्र धन्ना
14. छोटू पुत्र धन्ना
15. हंजा पत्नी धन्ना
16. पूसा पुत्र भगला
17. रमेश पुत्र नेनाराम
18. नन्दू पुत्र नेनाराम
19. उतम पुत्र नेनाराम
20. रेशमी पत्नी नेनाराम
21. प्रभू पुत्र केशा
22. मोतीलाल पुत्र आलू जातिया- भाम्बी, निवासीगण- भींवगढ़, तहसील जैतारण, जिला पाली (राज)।
23. बस्ताराम पुत्र हापुडी पत्नी हापु जाति भाम्बी, निवासी भींवगढ़, हालमुकाम लाम्बिया तहसील जैतारण, [illegible] (राज)।
24. पप्पु पुत्र [illegible] बिदामी पुत्री हापुडी पत्नी [illegible] वारिस) जाति भाम्बी, [illegible] भींवगढ़, हालमुकाम राबडियावास तहसील जैतारण, जिला पाली (राज)।
25. सोहनी पुत्री हापुडी पत्नी भंवरु जाति भाम्बी, निवासी भींवगढ़,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

हालमुकाम बलाडा तहसील जैतारण, जिला पाली (राज)।

26. लाडू पुत्री हापुडी जाति भाम्बी, निवासी भींवगढ़, हालमुकाम घोडावड तहसील जैतारण, जिला पाली (राज)।

27. बुधा पुत्र दाकुडी पत्नी छोगा जाति भाम्बी, निवासी भींवगढ़, हालमुकाम कोटडिया तहसील जैतारण, जिला पाली (राज)।

28. रामगोपाल हॉल्डिंग प्रा. लि. स्ट्रेड रोड कोलकता 70001 (प. बंगाल)जरिये महेश पंवार पुत्र सोहनलाल जाति लौहार मसूदा रोड ब्यावर, जिला अजमेर (राज)।

29. श्री सीमेंट लिमिटेड (रास प्रोजेक्ट) मार्फत अमरीषकुमार शर्मा वरिष्ठ प्रबन्धक (भूमि अवाप्ति) निवासी बांगड नगर अन्धेरी देवरी, तहसील मसूदा, जिला अजमेर (राज)।

30. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज)।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 83/2020

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू .... व हाजरी श्री शाकिर हुसैन, वादी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की खसरा नम्बर 1920 रकबा 21 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 2596 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी दोयम भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा-बिस्वा	किस्म	लगाान
1	अरविन्द कुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया कौम – रेगर, निवासी अम्बेडकर कालोनी, राजमहल होटल के पीछे ब्यावर, जिला अजेमर (राज.) खातेदार	1920/2	3[illegible]	[illegible]	0.85
2	रामगोपाल हॉल्डिंग प्रा. लि. स्ट्रेड रोड कोलकता 70001 (प.बंगाल)जरिये महेश पंवार पुत्र सोहनलाल जाति लौहार मसूदा रोड ब्यावर, जिला अजमेर (राज) खातेदार	1920/1	0–08	बा0दो0	0.10
3.	श्री सीमेंट लिमिटेड (रास प्रोजेक्ट) मार्फत	2596	2–16	बा0दो0	0.70

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

	अमरीषकुमार शर्मा वरिष्ठ प्रबन्धक (भूमि अवाप्ति) निवासी बांगड नगर अन्धेरी देवरी, तहसील मसूदा, जिला अजमेर (राज)।	1920 योग 2	12-01 14-17	बा0दो0	3.01
4.	रेणुकुमार पुत्र रतनलाल जैन जाति जैन, निवासी विनोदनगर ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।	1920/3	0-04	बा0दो0	0.05
5.	निर्मल कुमार पुत्र नेमीचन्द जैन जाति जैन, निवासी समता सदन के सामने गीता भवन ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।	1920/4	01-00	बा0दो0	0.25
6.	भंवरु पुत्र दाऊ के कायम मुकाम पर- गोपाल पुत्र भंवरु हि. 5/816, लक्ष्मण पुत्र भंवरु हि. 5/816, पूरण पुत्र भंवरु हि. 5/816, अजीत पुत्र भंवरु हि. 5/816, सीता पुत्री भंवरु हि. 5/816, माया पुत्री भंवरु हि. 5/816, अंजू पुत्री भंवरु हि. 5/816, रेशमा पत्नी भंवरु हि. 5/816, कौम- मेरात सा. देह, प्रकाश पुत्र भंवरु हि. 5/34, दुर्गा पुत्र गेना हि. 5/102, बुधा पुत्र धन्ना हि. 5/102, छोटु पुत्र धन्ना हि. 5/102, हंजा बेवा धन्ना हि. 5/102, पुसा पुत्र मंगला हि. 5/34, रमेश पुत्र नेनाराम हि. 5/408, नन्दु पुत्र नेनाराम हि. 5/408, उत्तम पुत्र नेनाराम हि. 5/408, रेशमी पत्नी नेनाराम हि. 5/408, प्रभु पुत्र केसा हि. 3/34, भीकाराम पुत्र केसाराम हि. 1/34, मोतिलाल पुत्र आलु हि. 1/17, आपुड़ी उर्फ हापुड़ी पुत्री जगरूप के कायम मुकाम पर बस्ताराम पुत्र आपुड़ी हि. 1/34, सोहनी पुत्री आपुड़ी पत्नी हापुराम हि. 1/34, लाडु पुत्री आपुड़ी पत्नी चम्पालाल हि. 1/34, बिदामी पुत्री आपुड़ी पत्नी लुणाराम के कायम मुकाम पर पप्पुराम पुत्र लुणाराम हि. 1/170, इन्द्रा पुत्र लुणाराम हि. 1/170, दरियाव पुत्र लुणाराम हि. 1/170, किनीया पुत्री लुणाराम हि. 1/170, चम्पादेवी पुत्री लुणाराम हि. 1/170, दाखुड़ी जगरूप के कायम मुकाम पर बुधाराम पुत्र दाखुड़ी पत्नी छोगाराम हि. 2/17 कौम मेघवाल सा0 देह. खातेदार।	1920/5	4-05	बा0दो0	1.60

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 11/08/2021 को जारी किया गया ।

सहायक कलक्टर पदेन

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

मोहर

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03-00	स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	–	महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	03-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	–	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	–	मुत्फरिक	
मिजानः–	07-00	मिजानः–	01-00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा जो ... डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:15 IST
Reason: SelfAttested